न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सीधी

I/निगरानी/सीधी/भू०रा०/2017/3150

शिवलाल यादव पुत्र श्री ददई यादव साकिन रामनगरकला, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.) ––आवेदक

विरूद्ध

1– हिन्छपती यादव पुत्र श्री ददई यादव,

2– राजपति यादव, पुत्र श्री ददई यादव,

3– राजनारायण यादव पुत्र श्री ददई यादव,

समस्त निवासीगण रामनगरकला तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील सिहावल, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अ–27/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—तीन / निगरानी / सीधी / भू.रा. / 2017 / 3150

शिवलाल यादव विरूद्ध हिन्छपती यादव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—02—2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल, जिला—सीधी के प्र. क्र. 55 / अ—27 / 2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11—08—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य	